



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2005/माघ 25, 1926

No. 150]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2005/MAGHA 25, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2005

का.आ. 203(अ).—केन्द्रीय सरकार, नाशक कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) (संशोधन) आदेश, 2005 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003, के खण्ड 5 में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परन्तु भारत-नेपाल व्यापार संधि के उपबंधों के अनुसार नेपाल से पादपों और रोपण सामग्रियों के आयात के संबंध में अनुसूची 9 के स्तंभ (4) में "क—निरीक्षण फीस" शीर्ष के अधीन विहित दरों के पचास प्रतिशत पर निरीक्षण की फीस प्रभारित की जाएगी'।

[फा. सं. 8-33/2000-पी.पी.1(भा.)]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003, भारत के राजपत्र सं. का.आ. 1322(अ) तारीख 10 नवम्बर, 2003 में प्रकाशित किया गया था, तत्पश्चात् का.आ. 167(अ), तारीख 6 फरवरी, 2004, का.आ. 427(अ) तारीख 29 मार्च, 2004 और का.आ. 644(अ) तारीख 31 मई, 2004 द्वारा संशोधित किया गया।

498 01/2005

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2005

S.O. 203(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Amendment) Order, 2005.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 5 of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that the fees for inspection shall be charged at fifty per cent of the rates prescribed under the heading "A-Inspection Fees", in column (4) of Schedule IX, in respect of imports of plants and planting materials from Nepal as per the provisions of the Indo-Nepal Trade Treaty'.

[F. No 8-33/2000-PP.1(Pl.)]

ASHISH BAHUGUNA, Jr. Secy.

Note:- The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India vide S.O. 1322(E), dated 18th November, 2003, subsequently amended vide S.O. 167(E), dated 6th February, 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004 and S.O. 644(E) dated 31st May, 2004.